207/2023

अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नहीं। न्यायालय समय समाप्ति से पहले पुनः आवाज लगवाई गई उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। प्रकरण की फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी